नईदुनिया

संपादकीय

100 फीट के तिरंगे पर किसके अहंकार की छाया

विकास के नाम पर राष्ट्रगौरव का सौदा कब तक

रायसेन *जिला प्रशासन ने मंडीदीप में जो किया, वह साधारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं, बल्कि एक प्रतीक को उतारने की कार्रवाई है। नेशनल हाईवे-46 पर शान से लहरा रहा 100 फीट ऊंचा तिरंगा, जिसे राहगीर गर्व से देखते और दौलतराम इंजीनियरिंग के कर्मचारी नमन करते थे, उसे 19 नवंबर को प्रशासन ने उतरवा दिया। तर्क दिया गया कि 132 केवी की हाईटेंशन लाइन आड़े आ रही है।*

सवाल यहीं से शुरू होता है। लाइन का रूट बदला क्यों नहीं जा सकता था? मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी नाहर पॉलीफिल्म्स की एक इकाई से दूसरी इकाई तक बिजली पहुंचाने के लिए लाइन बिछा रही है। तो क्या निजी कंपनी के स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय ध्वज हटेगा? क्या सर्वे में यह नहीं देखा गया कि लाइन को 10 फीट दाएं-बाएं करने से तिरंगा बच सकता था? पोल की ऊंचाई बढ़ाने या अंडरग्राउंड केबलिंग का विकल्प नहीं था? तकनीक के इस दौर में प्रशासन का एक ही समाधान था, तिरंगा उतार दो।

दौलतराम प्रबंधन के एमडी सीपी शर्मा का आरोप गंभीर है। उनका कहना है कि कलेक्टर से आदेश लेने के लिए झूठे और भ्रामक दस्तावेज लगाए गए। अगर यह सच है तो प्रशासनिक अपराध है। कलेक्टर बताएं, आदेश से पहले दौलतराम को सुना गया? प्राकृतिक न्याय का पालन हुआ? मौके का पंचनामा हुआ या एक कंपनी के कागजों पर भरोसा कर ध्वज हटाने का फरमान सुना दिया गया? एक एसडीएम, तहसीलदार और बिजली कंपनी के इंजीनियर तिरंगा उतारने पहुंचे। क्या उन्हें नहीं लगा कि वे क्या उतार रहे हैं?

मंडीदीप में चर्चा है कि नाहर पॉलीफिल्म्स का प्रबंधन रसूखदार है। क्या प्रशासन उसी दबाव में था? दौलतराम जैसा उद्योग, जो तिरंगे का सम्मान कर रहा था, उसकी भावनाएं क्यों रौंद दी गईं? प्रशासन बताए कि इस प्रकरण में नाहर पॉलीफिल्म्स की भूमिका क्या है। क्या यह औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का बदला है? क्या एक कंपनी दूसरे की पहचान मिटाना चाहती है और प्रशासन उसका औजार बन रहा है? मान लिया कि सुरक्षा कारणों से तिरंगा हटाना जरूरी था, तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी वहीं खत्म हो गई? क्या परिसर में 20 फीट दूर किसी सुरक्षित जगह पर उसे सम्मान से दोबारा स्थापित करने का विकल्प नहीं था? यहां विकल्प खोजने की कोशिश ही नहीं हुई। उतारा, गाड़ी में रखा और चलते बने। यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं तो क्या है?

तिरंगा सिर्फ दौलतराम का नहीं, मंडीदीप की पहचान था। हाईवे से गुजरने वाले यात्री उसे देखकर कहते थे, हां, यह मंडीदीप है। आज वह पहचान सूनी है। प्रशासन माफी मांगे और तिरंगा फिर लहराए। आदेश की फाइल सार्वजनिक हो, झूठे दस्तावेजों के आरोप की स्वतंत्र जांच हो, नाहर पॉलीफिल्म्स और दौलतराम को बैठाकर सुरक्षित जगह तय की जाए और सात दिन में तिरंगा फिर 100 फीट पर लहराए। राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा कोई प्रोजेक्ट, कोई लाइन, कोई कंपनी नहीं। अगर प्रशासन यह नहीं समझता, तो उसे कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। तिरंगा झुका नहीं है, उसे झुकाया गया है। अब प्रशासन को ही उसे फिर उठाना होगा।

अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ती डेस्टिनेशन कैबिनेट

अच्छेलाल वर्मा



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने का अवसर विकास की नई अवधारणाओं और प्रशासनिक नवाचारों पर विचार करने का भी अवसर है। इन तीन वर्षों में शासन की कार्यशैली में उभरी महत्वपूर्ण पहलों में डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा विशेष उल्लेखनीय है। यह पहल केवल राजधानी भोपाल से बाहर मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व वाले क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का एक माध्यम भी है। डेस्टिनेशन कैबिनेट की मूल अवधारणा है कि शासन के सर्वोच्च स्तर पर होने वाले निर्णयों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं, विशेषताओं और विकास की संभावनाओं से जोड़ा जाए। जब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किसी क्षेत्र में पहुंचकर बैठक करते हैं, तो उस स्थान की ऐतिहासिक पहचान के साथ वहां की अधोसंरचना, पर्यटन, रोजगार, व्यापार और नागरिक सुविधाओं से जुड़े विषय भी प्रमुखता से सामने आते हैं। इस नवाचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विकास का विकेंद्रीकरण है। सामान्यत: बड़े प्रशासनिक निर्णय राजधानी में लिए जाते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन कैबिनेट के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों को शासन की नीतिगत चर्चाओं का केंद्र बनने का अवसर मिलता है। इससे स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा क्षेत्र विशेष की विकास प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की संभावनाएं बनती हैं।साथ ही सुशासन को मजबूती और आमजन की समस्याओं के निराकरण को गति मिलती है।

तीन वर्षों में विभिन्न अंचलों तक पहुंची मंत्रिपरिषद : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में 3 जनवरी 2024 को जबलपुर से राजधानी के बाहर मंत्रिपरिषद की बैठकों का क्रम शुरू हुआ। इसके बाद वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृतियों से जुड़े दमोह जिले के सिंग्रामपुर, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर और इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में बैठकें आयोजित हुईं। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में गोंड राजा भभूत सिंह के शौर्य, खजुराहो में बुंदेलखंड की गौरवशाली विरासत और बड़वानी के नागलवाड़ी में जनजातीय संस्कृति को केंद्र में रखा गया। भोपाल जिले के ऐतिहासिक जगदीशपुर में भी बैठक हुई। नवंबर 2026 में गांधीसागर में नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट का आयोजन इस क्रम की नवीनतम कड़ी बना।

डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों की विशेषता यह रही कि स्थानों का चयन केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान को ध्यान में रखकर किया गया। इससे प्रदेश के महान जननायकों के योगदान और स्थानीय विरासत को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर मिला।

विरासत के सम्मान से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन : डेस्टिनेशन कैबिनेट का महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों से जुड़ा है। जब किसी ऐतिहासिक या प्राकृतिक स्थल पर राज्य की मंत्रिपरिषद एकत्र होती है, तो उस क्षेत्र की विशेषताओं को व्यापक पहचान मिलती है। मीडिया कवरेज, पर्यटन संबंधी गतिविधियों और प्रशासनिक ध्यान से उस स्थान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ सकती है। महेश्वर में हथकरघा और पारंपरिक वस्त्र उद्योग, खजुराहो में सांस्कृतिक पर्यटन, पचमढ़ी में प्रकृति पर्यटन तथा गांधीसागर में जल पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन जैसी गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं का नियोजित विकास होटल, होमस्टे, परिवहन, स्थानीय खानपान, हस्तशिल्प और अन्य सेवाओं से जुड़े परिवारों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकता है।विशेष रूप से महिलाओं के स्व-सहायता समूहों, स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को पर्यटन बाजार से जोड़कर विकास के लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचाए जा सकते हैं।

क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अधोसंरचना विकास : डेस्टिनेशन कैबिनेट का एक प्रमुख संभावित परिणाम क्षेत्रीय अधोसंरचना को नई प्राथमिकता मिलना है। मंत्रिपरिषद के आयोजन से संबंधित क्षेत्र में सड़कों, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन और पर्यटक सुविधाओं की आवश्यकताओं का आकलन करने का अवसर मिलता है।

इसका महत्व केवल आयोजन स्थल तक सीमित नहीं है। बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होती है। पर्यटन स्थलों तक आवागमन सुगम होने से व्यवसायों को अवसर मिलते हैं। बिजली, इंटरनेट और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार छोटे उद्योगों और सेवा क्षेत्र के विकास का आधार बन सकता है।इन संभावनाओं को

वास्तविक उपलब्धियों में बदलने के लिए आवश्यक है कि बैठक के बाद स्वीकृत परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो।

गांधीसागर : ऊर्जा, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं का संगम : डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा को गांधीसागर के उदाहरण से समझा जा सकता है। नवंबर 2026 में यहां आयोजित नौवीं बैठक के संदर्भ में क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, मत्स्यपालन और औद्योगिक विकास की संभावनाओं को प्रमुखता मिली।गांधीसागर क्षेत्र से जुड़ी लगभग 11,500 करोड़ रुपये की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की क्षमता लगभग 1,920 मेगावाट बताई गई है। इस परियोजना से निर्माण के दौरान रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। क्षेत्र में पर्यटन, मत्स्यपालन और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की योजनाएं भी सामने आई हैं।

यह उदाहरण दर्शाता है कि किसी क्षेत्र में डेस्टिनेशन कैबिनेट के आयोजन को वहां की प्रमुख आर्थिक परियोजनाओं और विकास की संभावनाओं से जोड़ा जा सकता है। इससे निवेशकों, प्रशासन और स्थानीय समुदायों के बीच क्षेत्र के आर्थिक भविष्य को लेकर संवाद बढ़ता है।जनजातीय अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का अवसर मध्यप्रदेश की बड़ी जनजातीय आबादी को देखते हुए डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा का सामाजिक महत्व भी है। बड़वानी के नागलवाड़ी और दमोह के सिंग्रामपुर जैसे स्थानों पर बैठकें आयोजित कर जनजातीय इतिहास, परंपराओं और स्थानीय पहचान को शासन की गतिविधियों से जोड़ा गया।

ऐसे आयोजनों के माध्यम से वनाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, लघु वनोपज, कौशल विकास और स्थानीय रोजगार से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। जनजातीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को बाजार से जोड़ने तथा पर्यटन आधारित आजीविका विकसित करने की भी संभावनाएं बनती हैं।इस प्रकार डेस्टिनेशन कैबिनेट क्षेत्रीय विकास के साथ सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समावेशन का माध्यम बन सकती है।

निर्णयों से धरातल पर परिवर्तन तक : डेस्टिनेशन कैबिनेट की उपयोगिता को समझने के लिए बैठकों में लिए गए निर्णयों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जनवरी 2025 में महेश्वर में आयोजित बैठक में धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय लिया गया। मई 2025 में इंदौर के राजवाड़ा में हुई बैठक में प्रमुख शहरों के लिए महानगरीय प्राधिकरणों के गठन का निर्णय सामने आया। ये उदाहरण बताते हैं कि ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित बैठकों में प्रदेशव्यापी नीतिगत निर्णय भी लिए जा सकते हैं। हालांकि किसी क्षेत्र में निवेश, रोजगार या पर्यटन में हुई वृद्धि को सीधे बैठक का परिणाम मानने के लिए परियोजनाओं की प्रगति और आर्थिक आंकड़ों का स्वतंत्र आकलन आवश्यक है।

तीन वर्षों की पहल से आगे विकास का स्थायी मॉडल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर डेस्टिनेशन कैबिनेट की पहल शासन के विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय पहचान को महत्व देने की एक विशिष्ट प्रशासनिक कार्यशैली के रूप में सामने आती है।आने वाले समय में इसकी प्रभावशीलता और बढ़ सकती है, यदि प्रत्येक डेस्टिनेशन कैबिनेट के साथ संबंधित क्षेत्र की दीर्घकालिक विकास कार्ययोजना तैयार की जाए। इसमें स्थानीय पर्यटन, रोजगार, उद्योग, कृषि, अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी प्राथमिकताओं का स्पष्ट निर्धारण हो। परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा तथा स्थानीय नागरिकों की सहभागिता से इन बैठकों का लाभ अधिक व्यापक बनाया जा सकता है।

डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा का मूल संदेश है कि प्रदेश का प्रत्येक अंचल अपनी विशिष्ट पहचान, संसाधनों और संभावनाओं के साथ विकास का केंद्र बन सकता है। राजधानी से बाहर पहुंचकर नीति निर्माण की यह प्रक्रिया स्थानीय जरूरतों को समझने और विकास की प्राथमिकताओं को नए दृष्टिकोण से निर्धारित करने का अवसर देती है। तीन वर्षों की इस यात्रा में डेस्टिनेशन कैबिनेट ने मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक विकास की आवश्यकताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। इस नवाचार की दीर्घकालिक सफलता का वास्तविक पैमाना यही होगा कि जिन क्षेत्रों में मंत्रिपरिषद पहुंची, वहां बेहतर सुविधाएं, अधिक आर्थिक अवसर, स्थानीय रोजगार और नागरिकों के जीवन स्तर में कितना स्थायी सुधार हुआ। विरासत को पहचान, स्थानीय संभावनाओं को अवसर और विकास को व्यापक क्षेत्रीय आधार देना—यही डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा का सार है।

आजकल

पीयूसी का झंझट खत्म, अब तीन साल तक नो टेंशन,

मोदी सरकार का मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा

हर तीन महीने में लाइन, हर बार लूट और चालान का डर। अब इस इंस्पेक्टर राज से राहत मिली है। आखिरकार सरकार ने मान लिया कि हर भारतीय वाहन चालक प्रदूषण फैलाने वाला नहीं है। अब बीएस-6 मानक वाले निजी वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र तीन साल तक वैध रहेगा। यह सिर्फ नियम में बदलाव नहीं, सोच में बदलाव है।

यह फैसला उन करोड़ों लोगों के लिए राहत है, जो पीयूसी के नाम पर लाइन, वसूली और चालान के त्रिकोण में फंसे थे। पहले वाहन के मानक के अनुसार तीन या छह महीने में पीयूसी कराना पड़ता था। काम-धंधा छोड़कर सेंटर पहुंचो तो सर्वर डाउन, प्रिंटर खराब या ऑपरेटर गायब। कहीं गाड़ी फेल करने के नाम पर वसूली का खेल भी चलता था। नौकरीपेशा, दुकानदार और किसान, सभी के लिए यह समय की बर्बादी थी।

अब तीन साल में एक बार पीयूसी कराने से समय और पैसे दोनों बचेंगे। निर्धारित शुल्क 60 से 100 रुपये है, लेकिन कई सेंटरों पर 200 से 300 रुपये तक वसूले जाते हैं। दो वाहन वाले परिवार का खर्च भी सालाना हजारों रुपये तक पहुंच जाता है। यह पैसा बचकर घर के राशन, बच्चों की किताबों और बाजार में खर्च होगा।

नई व्यवस्था में छह साल तक पुराने बीएस-6 निजी वाहनों का पीयूसी तीन साल, कमर्शियल वाहनों का दो साल, छह से दस साल पुराने वाहनों का सालाना और दस साल से पुराने वाहनों का छह महीने में कराना होगा।

यह पर्यावरण से समझौता नहीं, तकनीक पर भरोसा है। अब जरूरत इस व्यवस्था को ऑनलाइन करने, दरें तय करने, सेंटरों पर निगरानी और गांवों तक जानकारी पहुंचाने की है। पीयूसी की यह राहत स्वागतयोग्य है। उम्मीद है ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और परमिट के जंजाल भी सरल होंगे और गुड गवर्नेंस जमीन पर दिखाई देगी।

ऑपरेशन डॉयचे लीक : 15 लाख सीक्रेट

दुनिया के तीन सबसे खतरनाक लोगों का काला कुबेर खजाना!

ट्रंप का कर्ज, एपस्टीन का जिस्मफरोशी का पैसा और पुतिन के यारों का खून से सना खजाना, सबका हिसाब एक ही बैंक में।

यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा बैंक लीक है। जर्मनी की आर्थिक महाशक्ति का प्रतीक डॉयचे बैंक, जिसकी तिजोरी पर कभी दुनिया भरोसा करती थी, आज उसी की तिजोरी से 15 लाख गोपनीय दस्तावेज चोरी होकर बाहर आ गए हैं और इन दस्तावेजों ने पूरी दुनिया की राजनीति को नंगा कर दिया है। इस लीक में तीन नाम हैं, जो एक साथ आते ही किसी हॉलीवुड थ्रिलर से भी बड़ी साजिश लगते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। जेफरी एपस्टीन, दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स ट्रैफिकर। रूस के अरबपति पुतिन के करीबी और उनकी ब्लैक आर्मी। तीनों का एक ही बैंक में क्या काम?

ट्रंप का 'कर्ज वाला राष्ट्रपति' मॉडल : 34 करोड़ डॉलर का जाल-लीक फाइलें चीख-चीखकर कह रही हैं कि ट्रंप एक कर्ज में डूबे राष्ट्रपति थे। 30 लाख डॉलर के लेन-देन को बैंक ने खुद संदिग्ध मार्क किया था।जनवरी 2021 तक, जब ट्रंप के पास परमाणु बम का बटन था, तब भी डॉयचे बैंक के 34 करोड़ डॉलर उनके सिर पर कर्ज के रूप में लदे थे। अब सबसे खतरनाक कड़ी। जांच एजेंसियों का कहना है कि इनमें से कुछ लेन-देन के तार सीधे रूसी-अजरबैजानी मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट से जुड़े हैं। यानी पैसा मॉस्को से निकला, बाकू में धुला, बर्लिन के बैंक में जमा हुआ और फिर ट्रंप टावर तक पहुंचा। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति रूस के पैसे से चल रहा था? क्या इस कर्ज के बदले अमेरिका की विदेश नीति बेची गई?

एपस्टीन का 58.2 करोड़ डॉलर का 'पाप का पैसा'-यह कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। जेफरी एपस्टीन, जिसे पूरी दुनिया बाल यौन शोषण का दरिंदा मानती है, वह 2013 से 2019 तक डॉयचे बैंक का सबसे प्यारा ग्राहक था। बैंक के अंदरूनी सिस्टम ने ही उसके 58.2 करोड़ डॉलर (582 मिलियन डॉलर) के लेन-देन पर लाल निशान लगा दिया था। बैंक जानता था कि यह पैसा गंदा है। यह पैसा जिस्मफरोशी, ब्लैकमेल और तस्करी का था।

फिर भी छह साल तक खाता चलता रहा, क्योंकि एपस्टीन बैंक को हर साल करोड़ों की फीस देता था।



सनसनीखेज खुलासा यह है कि यह पैसा सिर्फ एपस्टीन का नहीं था, बल्कि उन सैकड़ों अमीर लोगों का पैसा था, जो एपस्टीन के आइलैंड पर जाते थे। क्या डॉयचे बैंक उन सबके नाम छुपा रहा था? क्या यह बैंक दुनिया के सबसे बड़े सेक्स रैकेट का खजांची था?

पुतिन के अरबपतियों का 'लॉन्ड्रोमैट' : अजरबैजान से जर्मनी तक काले धन की पाइपलाइन-रूस के अरबपति पुतिन के पैसे को यूरोप में कैसे लाते हैं, इस लीक ने उसका नक्शा दे दिया है। इसे कहा जाता है 'अजरबैजानी लॉन्ड्रोमैट'।

तरीका बहुत आसान है। रूस से पैसा अजरबैजान की फर्जी कंपनियों में, वहां से फर्जी बिल और कर्ज के नाम पर डॉयचे बैंक, जर्मनी। अब पैसा एकदम सफेद। इसी सफेद पैसे से लंदन में फुटबॉल क्लब खरीदे गए, यूरोप में चुनाव लड़े गए और मीडिया हाउस खरीदे गए। डॉयचे बैंक इस पाइपलाइन का मुख्य वाल्व था। 2017 में इसी काम के लिए बैंक पर 63 करोड़ डॉलर का जुर्माना भी लगा था, लेकिन लालच नहीं रुका।

एक बैंक, तीन अपराधी, एक ही कहानी-देखिए, पैटर्न कितना एक जैसा है। ट्रंप के लिए शेल कंपनी बनाओ, कर्ज दो। एपस्टीन के लिए संदिग्ध लेन-देन को इग्नोर करो। रूसी अरबपतियों के लिए पैसा घुमाओ और साफ करो। तीनों के लिए बैंक ने कानून को ताक पर रखा। यह बैंक नहीं, अपराधियों का 'चार्टर्ड अकाउंटेंट' बन गया था।

बैंक का कहना है, ये पुराने मामले हैं, हमने सिस्टम सुधार लिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सिस्टम सुधरा नहीं है, बस पकड़े जाने का तरीका बदल गया है। यह सिर्फ लीक नहीं, लोकतंत्र की मौत का सर्टिफिकेट है। 15 लाख फाइलें सिर्फ एक बैंक की हैं। अगर जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी और स्विस बैंकों की फाइलें भी बाहर आ गईं, तो दुनिया के आधे राष्ट्रपति जेल में होंगे।

यह कहानी हमें बताती है कि दुनिया को नेता नहीं, बल्कि बैंक चलाते हैं और जब तक ये बैंक अपने ग्राहकों के नाम छुपाते रहेंगे, तब तक ट्रंप जैसे नेता बनते रहेंगे, एपस्टीन जैसे दरिंदे पलते रहेंगे और रूसी पैसा लोकतंत्र को खरीदता रहेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

5.48 करोड़ की ताकत, पर्ची नहीं प्रदेश का भविष्य हैं मतदाता

एसआईआर के बाद 8.19 लाख नाम बढ़े तो किसका नाम कटा? 127 बूथ जुड़े, 21 हटे, लोकतंत्र का नया नक्शा। 18 साल का वोटर, 72 हजार बूथ और एक मोबाइल में पूरी लोकशाही।

मध्यप्रदेश में मतदाता सूची का प्रारूप आ गया है और इस बार आंकड़ा कह रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट मांग नहीं रहा, वोट जोड़ भी रहा है। प्रदेश में कुल 5,48,71,158 मतदाता दर्ज हुए हैं। इसमें 2,82,85,144 पुरुष, 2,65,13,547 महिला और 937 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इसके अलावा 71,530 सर्विस वोटर, 56,366 दिव्यांग और 184 प्रवासी भारतीय मतदाता भी सूची में हैं। सबसे बड़ी बात, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से पहले यह संख्या 5.39 करोड़ थी, अब 8.19 लाख बढ़कर 5.48 करोड़ हो गई है। यह 8.19 लाख का बढ़ना मामूली नहीं है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि एसआईआर का मतलब नाम काटना है। विपक्ष आरोप लगाता है कि नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन मध्यप्रदेश ने उल्टा ट्रेंड दिखाया है। नाम कटे नहीं, नाम जुड़े हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम ने कचरा साफ किया है, लेकिन घर खाली नहीं किया। जो डुप्लीकेट थे, जो शिफ्ट हो गए थे, जो दिवंगत थे, उनके नाम हटे होंगे, लेकिन उससे ज्यादा वे नाम जुड़े जो छूट गए थे। 18 साल के नए युवा, शादी के बाद आई महिलाएं, एक शहर से दूसरे शहर गए मजदूर और छात्र। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफाई है। हम सड़क की सफाई देखते हैं, नाली की सफाई देखते हैं, लेकिन मतदाता सूची की सफाई नहीं देखते, जबकि चुनाव की असली नींव यहीं से शुरू होती है। सूची में गड़बड़ होगी तो बूथ पर झगड़ा होगा, परिणाम पर शक होगा। सूची साफ होगी तो हारने वाला भी भरोसा करेगा। इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार दोहरा काम किया है। एक तरफ 127 नए मतदान केंद्र जोड़े हैं, 21 को हटाया है और कुल संख्या 72,036 कर दी है। जहां आबादी बढ़ी, वहां बूथ बनाया, जहां स्कूल जर्जर हुआ, वहां बूथ हटाया। यह छोटा-सा युक्तिसंगत बदलाव बताता है कि लोकतंत्र अब दूरी नहीं चाहता। हर वोटर के लिए दो किलोमीटर के अंदर बूथ हो, यही लक्ष्य है। जिनका नाम एसआईआर में किसी कारण से नहीं जुड़ा, उन्हें फिर से खोजा जा रहा है। बीएलओ दोबारा घर-घर जा रहे हैं। गुरुवार से अभियान शुरू हुआ है। यह मान लेना कि एक बार सूची बन गई तो सब ठीक है, गलत होगा। एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए। लोकतंत्र है, मध्यप्रदेश ने दूसरा रास्ता चुना है।



अब आइए इस 5.48 करोड़ के सामाजिक अर्थ पर। यह आंकड़ा बताता है कि मध्यप्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से सिर्फ 17 लाख कम है। यह अंतर 10 साल पहले 25 लाख से ज्यादा था। यानी महिलाएं तेजी से सूची में आ रही हैं, वोट डाल रही हैं। 937 थर्ड जेंडर मतदाताओं का आना तो और भी बड़ा संकेत है। यह वह समुदाय है जो पहले अदृश्य था, अब मतदाता के रूप में दृश्य है। 56,366 दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हित होना बताता है कि अब चुनाव में रैंप, व्हीलचेयर और ब्रेल सूची की भी तैयारी होगी। सबसे बड़ा भविष्य 1 जनवरी 2027 को 18 साल पूरे करने वाले युवा हैं, जो आज ही आवेदन कर सकते हैं। यानी जो बच्चा आज 11वीं में है, वह अगले चुनाव में वोटर होगा। यह एडवांस प्लानिंग है। लोकतंत्र इंतजार नहीं करता कि आप 18 साल के हो जाओ, तब लाइन में लगो। वह कहता है, आओ, पहले से जुड़ो। प्रक्रिया भी अब आसान हो गई है। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। 21-22 नवंबर और 5-6 दिसंबर को विशेष अभियान होगा। 28 दिसंबर तक निपटारा और 4 जनवरी 2027 को अंतिम सूची जारी होगी। घर बैठे वोटर हेल्पलाइन ऐप और हेल्पलाइन नंबर 1950 पर जानकारी, साथ ही बीएलओ से सीधा संपर्क। यानी अब वोटर बनने के लिए तहसील के चक्कर नहीं, मोबाइल काफी है। लेकिन यहां राजनीतिक दलों की परीक्षा भी है। चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त दलों को सूची की फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी हार्ड डिस्क में दी है और हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) तैनात करने को कहा है। अक्सर दल प्रचार में हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, लेकिन बूथ पर एजेंट नहीं रखते। यदि हर बूथ पर सभी दलों के बीएलए होंगे तो फर्जी नामों पर लड़ाई खत्म होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा।

अब 8.19 लाख नए नामों का चुनावी गणित देखिए। मध्यप्रदेश में 230 विधानसभाएं हैं। औसतन हर सीट पर 3500 से 4000 नए वोटर जुड़े हैं। 2018 और 2023 में 30 से ज्यादा सीटों पर जीत का अंतर 5000 से कम था। यानी ये नए वोटर ही हार-जीत तय कर सकते हैं। ये युवा हैं, पहली बार वोट देंगे। इनके मुद्दे लाड़ली बहना से ज्यादा रोजगार, पेपर लीक, स्टार्टअप और शहर में जाम हैं। जो दल इन्हें समझेगा, वही 5.48 करोड़ की इस ताकत को अपने पक्ष में मोड़ेगा। इसलिए यह प्रारूप सूची सिर्फ एक सरकारी कागज नहीं है, यह एक निमंत्रण है। अपना नाम जांचिए, यदि गलती है तो सुधरवाइए, यदि नाम नहीं है तो जुड़वाइए, क्योंकि 5.48 करोड़ की इस सूची में आपका नाम है, तभी आपकी आवाज है और आवाज है, तभी लोकतंत्र है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)